



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247230
CG-DL-E-11072023-247230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]
No. 397]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2023/आषाढ 20, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2023/ASHADHA 20, 1945

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 496(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 के नियमों में, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 9ए के साथ पठित उप-धारा (1) एवं धारा 5 की उप-धारा (2) के भाग (ण) तथा भाग (द) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, निम्नलिखित मसौदा संशोधन प्रस्तावित करती है, जो एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षा के अनुसार इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए गए हैं; तथा एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमावली को उस तिथि से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार में लिया जाएगा जिस तिथि को भारत के राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित होकर सर्वसाधारण को उपलब्ध होगी;

सुझाव अथवा आपत्तियां, यदि कोई हों उप सचिव, भारत सरकार, ब्लॉक 'बी', राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली – 110003 को सूचित की जानी चाहिए; अथवा soai.moca@nic.in पर मेल की जानी चाहिए।

उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त सुझाव अथवा आपत्ति को केन्द्र सरकार द्वारा विचार में लिया जाएगा।

मसौदा नियम

1. (1) ये नियम नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियमावली, 2023 के नाम से जाने जाएंगे।

(2) ये राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तित होंगे।

2. नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 के नियम 9ए में, नामतः, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

9क. अनापत्ति पत्र की वैधता -

(1) नियम 5 के अंतर्गत जारी अनापत्ति पत्र की वैधता अवधि, ऐसा प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तिथि से बारह वर्ष होगी।

(2) यदि अनापत्ति प्रमाणपत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अथवा संबंधित रक्षा प्राधिकरणों को आवेदन प्रस्तुत करके दिनांक 14.01.2010 के एस.ओ.84(ई) के अंतर्गत जारी किया गया है, तो ऐसे अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता की बारह माह की अवधि की गणना एस.ओ.84(ई) के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्र की तिथि से की जाएगी।

स्पष्टीकरण:—एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि, जारी किए जाने की तिथि से, बारह वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा वैधता की अवधि की समाप्ति के पश्चात आवेदक को अनापत्ति पत्र की प्राप्ति के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3. नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 में से नियम 16 का विलोपन किया गया है।

[फा. सं. एवी-24011/28/2017-एएआई- एमओसीए-पार्ट (1)]

रूबिना अली, संयुक्त सचिव

नोट— मूल नियमावली का प्रकाशन दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.751(ई) के माध्यम से किया गया था तथा इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 13 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना जीएसआर 702(ई) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2023

G.S.R. 496(E).—The following draft of certain rules further to amend the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (o) and clause (r) of sub-section (2) of section 5 read with section 9A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information to all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Deputy Secretary to the Government of India, 'B' Block, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi – 110003; or mailed to soaai.moca@nic.in

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, in rule 9A, the following shall be substituted, namely: -

9A. Validity of No Objection Certificate -

(1) The period of validity of a No Objection Certificate issued under rule 5 shall be twelve years from the date of issue of such certificate.

(2) Where a No Objection Certificate has been issued under S.O. 84(E) dated 14.01.2010, upon an application made to the Airports Authority of India or the relevant defence authorities, the period of validity for such No Objection Certificate shall be extended upto a period of twelve years reckoned from the date of issue of such certificate issued under S.O. 84(E).

Explanation:—It is hereby clarified that the period of validity of a No Objection Certificate shall not exceed twelve years from the date of its issue and upon expiry of the period of validity an applicant shall be required to apply afresh for obtaining a No Objection Certificate.

3. In the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, rule 16 shall be omitted.

[F. No. AV-24011/28/2017-AAI- MOCA-Part (1)]

RUBINA ALI, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 1st October, 2015, vide notification number G.S.R.751(E) dated 30th September, 2015 and last amended vide notification GSR 702(E) dated 13th September, 2022.